APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
~~केम्प~~ कोर्ट कोटडी

कालु राम पिता गोपाल लाल भाम्बी बनाम पन्ना पिता रामा बलाई
निवासी – लक्ष्मीपुरा निवासी– लक्ष्मीपुरा
किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53 रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 05/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस ... की ... में हुए
09.05.2018 नि. ठोरन नि. ...	प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट कोटडी पर पेश हुई, वादी कालुराम , मुकेश तथा उनके अधिवक्ता श्री ललित कुमार धनोपिया प्रतिवादी सायरी , भैरु, उपस्थित हुये । वकील वादी के द्वारा कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है आराजी मतदाविया वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 3 की सयुक्त खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजीयात है , जिसमें वादी संख्या–1 का 1/6 वादी सख्या–2 का 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या–1 से 3 का 2/3 हक हिस्सा है और इसी हक हिस्से के अनुसार पक्षकारान मोके पर काबिज काश्त चले आ रहे है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी लोक अदालत की भावना से स्वीकार फरमाया जाकर माफिक हक हिस्से के अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने के आदेश फरमावें । उपस्थित प्रतिवादी श्रीमति सायरी पुत्री रामा , भैरु पिता नन्दा में भी माफिक हक हिस्से के अ:ुसार भूमि विभाजन किये जाने में अपनी सहमति वक्त किये जाने से उभय पक्ष को सूना गया । मैने उभय पक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्नानुसार रहा है । वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का कोटडी तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नं.– 344, 345, 346, 347 किता 4 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा भूमि रामा , भैरु पिता नन्दा हिस्सा 2/3 , गीता पुत्री चोथू हाल संजयनगर बरल 1/3 बलाई , दर्ज रिकार्ड होना तथा विरासत से रामलाल पिता नन्दा के बजाय पन्ना पिता रामा सायरी पुत्री रामा दर्ज रिकार्ड होना तथा बेचान से गीता पुत्री चोथू हिस्सा 1/3 के बाजय गीता पुत्री चोथू 1/6 कालुराम पिता गोपाल लाल भाम्बी हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड होना तथा बेचान से गीता पुत्री चोथू 1/6 के बजाय मुकेश पिता मदन लाल रेगर हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड आना प्रकट आया है ।	
सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा		

Scanned by CamScanner

यहाँ वादीगण के द्वारा मुताविक हक हिस्से के अनुसार भूमि विभाजन कराना चाहा है । उपस्थित प्रतिवादीगण में भी हक हिस्से के अनुसार भूमि विभाजन किये जाने में अपनी सहमति वक्त किये जाने से दावा वादी लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

::–निर्णय::–

दावा वादी लोक अदालत की भावना से प्राथमिक डिकी किया जाकर मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का कोटडी तहसील हुरडा की आराजी नं.– 344, 345, 346, 347 किता 4 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा भूमि के खातेदान काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से के अनुसार भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हे । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज 09.05.2018 को खुली लोक अदालत में सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

09.05.2018

तहसीलदार हुरडा के द्वारा जरिये पत्र कमांक राजस्व /2018 दिनांक 09.05.2018 से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली आज पुनः प्रस्तुत हुई , वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित है । तहसीलदार हुरडा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है–

1– पन्ना पिता रामा, सायरी पुत्री रामा , गीता पुत्री रामा बलाई के हिस्से में–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
लक्ष्मीपुरा	347/1	02 बीघा 09 बिस्वा	
	345/2	00 बीघा 05 बिस्वा	
	किता 02	02 बीघा 04 बिस्वा	4.46 रु.

2– भैरु पिता नन्दा बलाई के हिस्से में–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
लक्ष्मीपुरा	344	02 बीघा 14 बिस्वा	
	किता 01	02 बीघा 14 बिस्वा	4.46 रु.

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

3– मुकेश पिता मदनलाल रेगर , कालुराम पिता गोपाल बलाई साकिन देह के हिस्से में–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
लक्ष्मीपुरा	345/1	02 बीघा 14 बिस्वा	
	किता 01	02 बीघा 14 बिस्वा	4.46 रु.

4– पन्ना पिता रामा , सायरी पुत्री रामा , गीता पुत्री रामा बलाई हिसा 1/3 , भैरु पिता नन्दा बलाई हिस्सा 1/3, कालुराम पिता गोपाल बलाई , मुकेश पिता मदलनलाल बलाई हिस्सा 1/3 के हिस्से में

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
लक्ष्मीपुरा	346	00 बीघा 01 बिस्वा	गे.मु.चाह
	347/2	00 बीघा 02 बिस्वा	
	345/3	00 बीघा 03 बिस्वा	
	किता 3	00 बीघा 06 बिस्वा	0.52 रु.

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी तथा उपस्थित प्रतिवादीगण को सुना गया वक्त बहस वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वह मुताबिक निर्णय अनुसार तैयार किया गया है । जो स्वीकार फरमाया जावें । उपस्थित प्रतिवादीगण के द्वारा भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करना जाहिर किया है ।

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को खुली लोक अदालत मे सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner